

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशालय, पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान जयपुर
(Phone: 0141-2820360, E-mail: dirarch-jp@nic.in)


क्रमांक:- पु.स./तक./स्मा./कोविड-19/2021/4790

दिनांक:- 16/4/2021

आदेश

कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के क्रम में राज्य सरकार के गृह(गुप-9) विभाग के आदेश क्रमांक प.33(2) गृह-9/2019 जयपुर, दिनांक 14/04/2021 के क्रम में दिनांक 17/04/2021 से दिनांक 30/04/2021 तक प्रदेश के विभागाधीन सभी संरक्षित स्मारक और राजकीय संग्रहालय पर्यटक प्रवेश हेतु बंद किये जाते हैं।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(कृष्णकांता शर्मा) 16/4/21
उपनिदेशक

क्रमांक:- पु.स./तक./स्मा./कोविड-19/2021/4791-4828

दिनांक:- 16/4/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री महोदय, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग।
3. शासन उपसचिव, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग।
4. कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, जयपुर।
5. कार्यकारी निदेशक (कार्य), आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, जयपुर।
6. समस्त अधीक्षक/वृत्त अधीक्षक, पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग।
7. समस्त संग्रहाध्यक्ष, राजकीय संग्रहालय।
7. विभागीय सहायक प्रोग्रामर को प्रतिलिपि के साथ यह आदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट में भी इस संबंध में सूचना अपडेट कर ऑनलाईन बुकिंग के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।
8. रक्षित पत्रावली।


उपनिदेशक 16/4/21